रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940
No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2018

संदर्भ : **वर्ष 2014 में आयोजित आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 77- मकथाल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रमेश बंडारी के विरुद्ध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत की गई अपील।**

आ.अ. 75(अ).—यतः, पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान 77- मकथाल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्री रमेश बंडारी को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहने के लिए आयोग की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के जरिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हित कर दिया गया था; और

यतः, आयोग की निरर्हता अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी, 2018 की प्राप्ति के उपरांत, श्री रमेश बंडारी ने आयोग के पूर्वोक्त अधिसूचना के द्वारा अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक अपील दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को प्रस्तुत की है; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी के नोटिस में लाए गए सभी सारवान् तथ्यों पर विचार करने के उपरांत उनका यह विचार है कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो विधि द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में उनके द्वारा असफल रहने की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किए गए निवेदन के आलोक में, अपीलीय प्राधिकारी ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आयोग की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अंतर्गत उन पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि को एतद्द्वारा कम करने का निर्णय लिया है ।

अतः, अब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतद्द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 08 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत, धारा 10क के अंतर्गत, श्री रमेश बंडारी पर अधिरोपित निरर्हता, इस आदेश की तारीख से हट जाएगी।

परिणामस्वरूप, आयोग की दिनांक 08 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014 में क्रम संख्या 06 पर प्रदर्शित, श्री रमेश बंडारी का नाम इस आदेश की तारीख से उक्त आदेश से विलोपित कर दिया गया माना जाएगा।

[सं 76/ आ.प्र.-वि.स./77/2014]

आदेश से,

सत्येन्द्र कुमार रुडोला, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2018

In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act of Shri Ramesh Bandari, a contesting candidate from 77-Makthal Legislative Assembly Constituency at the General Election to Legislative Assembly of Andhra Pradesh, 2014.

O.N. 75(E).— Whereas; Shri Ramesh Bandari**,** a contesting candidate from 77-Makthal Legislative Assembly Constituency in the State of Telangana, during General Election to the Legislative Assembly of erstwhile Andhra Pradesh, 2014, had been disqualified under Section-10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for failure to lodge the account of his election expenses in the manner required by law, vide Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 8th January, 2018; and

Whereas; after receipt of the Commission's disqualification Notification dated 8th January, 2018, Shri Ramesh Bandari has presented an appeal dated 16th November, 2018, under Section-11 of the aforesaid Act, in pursuance of the directions of the Hon'ble High Court of Telangana in WP No. 40825 of 2018, for removal of disqualification imposed upon him vide Commission's aforesaid notification, and

Whereas, after considering all the material facts brought to the notice, the Appellate Authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, in view of the submission made by the appellant, the Appellate Authority, after taking a lenient view, has decided to reduce the period of disqualification imposed on him, under section 10A of the R.P. Act, 1951 vide Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 8th January, 2018.

Now; therefore, i**t is hereby decided by the Competent Authority,** that the disqualification imposed on Shri Ramesh Bandari, Under Section 10A, vide Election Commission of India's Notification dated 8th January, 2018, shall stand removed from the date of this order. Consequently, the name of Shri Ramesh Bandari appearing at Serial No. 06 in the Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 8th January, 2018, shall be deemed to have been deleted from the said Notification, with effect from date of this order.

[No. 76/AP-LA/77/2014]

By Order,

S. K. RUDOLA, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.22 10:52:42 +05'30'